# 14 गोवंशों को कुचला, सीएस व कलेक्टर से मांगा जवाब

**नाराजगी** ●हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा-मुख्य सडकों और हाईवे पर खतरनाक स्थिति, अफसोस की बात कि ऐसे हादसे निरंतर हो रहे

नईदुनिया लगातार

**हाई कोर्ट हुआ सख्त**

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः रतनपुर रोड पर ग्राम बारीडीह में मंगलवार रात हाइवा से कुचलकर मारे गए 14 मवेशियों को मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस ने इस पर स्पेशल डीबी में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी, शासन ने जवाब के लिए समय लिया है। अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस ने रतनपुर में सडक हादसे का जिक्र किया, जिसमें 14 मवेशी मारे गए हैं। इसे संज्ञान में लेकर इस पर भी बतौर जनहित याचिका सुनवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि सभी जगह मुख्य सडकों और हाईवे पर बहुत खतरनाक स्थिति है। अफसोस की बात है कि इस तरह के हादसे निरंतर हो रहे हैं। शासन इन पर रोक लगाने के क्या उपाय कर रहा है। सीजे रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीबी ने महाधिवक्ता पीएन भारत से जानकारी ली कि पूर्व में अदालत के आदेश पर कितना अमल किया गया है। गायों के मालिकों के खिलाफ एफआइआर हुई है या नहीं। महाधिवक्ता ने बताया कि इस हादसे में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शासन की ओर से कहा गया कि एसओपी का पूरा पालन किया जाएगा।

प्रकाशित खबर।

### सड़क पर बैठे मवेशियों से जा रही लोगों की जान

चार दिन पहले रतनपुर रोड पर मदनपुर के पास बाइक सवार युवक कुत्ते को बचाते हुए सड़क पर बैठे मवेशी से जा टकराया। इस हादसे में बाइक सवार के सिर पर गंभीर चोटें आई। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसी तरह कोनी क्षेत्र के तुरकाडीह मोड़ के पास बाइक सवार युवक सोमेश सिंह मरकाम(29) सड़क पर बैठे मवेशी से टकरा गया। इससे युवक की मौत हो गई। इसके अलावा कई लोग अलग-अलग जगहों पर गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

### गोवंशों के कारण हुए हादसे

| वर्ष | दुर्घटना | मृतक | घायल |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 9 | 6 |
| 2023 | 19 | 10 | 5 |
| 2024 | 25 | 06 | 04 |
| 2025 | 8 | 3 | 0 |

### हाई कोर्ट का आदेश भी बेअसर

बिलासपुर हाई कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को हटाने के लिए राज्य शासन को आदेश जारी कर चुका है, लेकिन सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। तखतपुर-मुंगेली, कोटा रोड, मस्तूरी, चकरभाठा के साथ ही सीपत रोड में शाम ढलते ही सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है। लगातार हो रहे हादसों पर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस दौरान समय-समय पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आदेश जारी किया गया है। इसमें उन्हें सड़कों से मवेशियों को हटाने और निगरानी करने कहा था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन मवेशियों को हटाने ध्यान नहीं दे रहा है।

## सालों से खानापूर्ति, इसलिए सड़क से नहीं हट रहे मवेशी

नईदुनिया प्रतिनिधि,बिलासपुरः सड़क में घुमने वाले मवेशियों को पकड़ने में सालों से नगर निगम खानापूर्ति करते आ रहा है। बीच-बीच में मवेशी पकड़ने का अभियान चलाया जाता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं मिलता। सड़कें पर मवेशी कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी वजह से हर समय सड़कें पर ये मवेशी नजर आ जाते हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि हर दिन किसी न किसी क्षेत्र में कोई न कोई मवेशी वाहन की चपेट में मर रहे है। वही सड़कें में इन मवेशियों के बैठे रहने की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोगों को अपनी जान गवानी भी पड़ जाती है।

बीते बुधवार को केंद्रा-पेंड्रा मार्ग में अज्ञात हाइवा ने सड़क पर बैठे मवेशियों के झुंड पर गाड़ी चलाते हुए फरार हो गया। इस घटना से मौके में ही 17 मवेशियों की मौत हो गई। वही पांच मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे घटना में वाहन चलक की लापरवाही सामने आने के साथ जिला प्रशासन का मवेशियों को सड़क से हटाने में असफल होना ही कारण है। वैसे भी बारिश के दिनों में जमीन गीला होने की वजह से मवेशी सूखा स्थान खोजते हुए सड़क पर आ जाते है। इसलिए सड़क में जगह-जगह इन मवेशियों के झुंड नजर आते हैं। जो यातायात व्यवस्था को लचर बना देते है। साथ ही इनकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही केंद्र-पेंड्रा मार्ग में हुआ और बेसहारा मवेशियों की जान गई। इधर हाई कोर्ट ने पहले से ही सड़कों पर मवेशियों को हटाने के सख्त निर्देश दे चुके हैं। शासन ने तो निर्देशित किया है कि हाइवे से मवेशियों को हटाया जाए। वहीं शहरी क्षेत्र की सड़क से मवेशी हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। इस मामले में हाई कोर्ट ने नगर निगम को खड़ी फटकार भी लगाई है।

बुधवार को दिनभर राम सेतु के सामने मवेशियों का जमावड़ा लगा रहा● नईदुनिया

### मवेशी मालिकों पर कोई कार्रवाई नहीं

शासन स्तर पर साफ किया गया है कि ऐसे पशु पालक जो अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं, उन पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए, लेकिन इस काम में भी संबंधित विभाग पीछे है। एक साल पहले पशु पालकों से संकल्प पत्र भरवाया गया था कि वे अपने पशु को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यह भी सिर्फ दिखावा साबित हुआ है। संकल्प पत्र भरने के बाद भी मवेशी छोड़ दिए गए हैं। वही गौठान में लाए गए मवेशियों को भी लेने कोई भी पशु पालक नहीं आता है।

### लगातार आदेश, फिर भी सड़क पर गोवंश

मवेशियों से हो रही दुर्घटनाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में अब तक तीन जनहित याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। अब तक की सुनवाई में हाई कोर्ट 10 बार निर्देश दे चुका है। इसके पालन में प्रशासन ने कुछ दिन कार्रवाई की और फिर भूल गया। कोर्ट के आदेश के पालन में प्रशासनिक कार्रवाई का आलम यह है कि मवेशी को भटकने के लिए छोड़ा जा रहा है। सड़कों पर मवेशी मिल रहे हैं। जबकि हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 फरवरी 2020 को मवेशियों पर नियंत्रण के लिए आमजन से सुझाव मंगाया है।

### इन सड़कों पर हैं स्थिति गंभीर

वैसे तो शहर के हर सड़क पर मवेशियों को जमावड़ा देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी सड़कें हैं, जहां पर इनकी संख्या अधिक रहती है। यहां से इन मवेशियों को हटाना जरूरी हो गया है। इन सड़कों में मोपका रोड, राजकिशोर नगर पुल, तिफरा मुख्य मार्ग, उसलापुर मुख्य मार्ग, लालखदान मार्ग मुख्य शामिल हैं।